कार्यालय : जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान– बाद, मथुरा

विज्ञप्ति

माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे योजित याचिका सं0–4854–4856/2009 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम भूपेन्द्र नाथ त्रिपाठी और अन्य सम्बद्व विशेष अनुज्ञा याचिका सं0–11223/2009 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम भूपेन्द्र नाथ त्रिपाठी तथा अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.10.2010 से आच्छादित वि0 बी0टी0सी0 प्रशिक्षण– 2008 (सामान्य चयन) के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने तत्समय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बाद, मथुरा में आवेदन किया था एवं अपने मूल अभिलेखों की जांच करायी थी अथवा जिनकी प्रशिक्षण उपाधि एन.सी.टी.ई. से मान्य न होने के कारण संदर्भगत प्रशिक्षणों से अभ्यर्थन निरस्त किया जा चुका है तथा ऐसे भी अभ्यर्थी जिनकी प्रशिक्षण उपाधि एन.सी.टी.ई. से मान्य न होने के कारण वह जांच प्रक्रिया में सम्मलित नहीं हुए हैं, यदि वह अपने से सम्बन्धित वर्ग/श्रेणी की नीचे दी गयी **जांच सूची की** कट आफ मेरिट के अन्तर्गत आते हैं तो वह अपने मूल अभिलेखों/प्रमाणपत्रों के साथ उनकी दो–दो स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतियां, प्रशिक्षण महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0)/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद(एन.सी.टी.ई.)द्वारा प्रशिक्षण वर्ष में मान्यता सम्बन्धी प्रपत्र, दो नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, दो फाइल कवर व टैग सहित दिनांक 06.04.2011 एवं 07.04.2011 को संस्थान में प्रातः 10 बजे मूल अभिलेखों की जांच हेतु उपस्थित हों ।

जांच सूची कट ऑफ मैरिट का विवरण

वर्ग/श्रेणी	शिक्षा मित्रों से भिन्न				शिक्षा मित्र	
	महिला		पुरूष		महिला	पुरूष
	कला	विज्ञान	कला	विज्ञान		
सामान्य जाति	262.41	----	248.69	257.53	----	224.78
अनुसूचित जाति	163.85	191.74	214.10	177.97	185.97	175.17
अनुसूचित जन जाति	207.02	217.19	185.86	229.59	----	----
अन्य पिछड़ा वर्ग	248.31	215.56	238.48	233.71	196.85	169.78

विशेष आरक्षण	शिक्षा मित्रों से भिन्न		शिक्षा मित्र	
	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष
दृष्टि बाधित	177.68	232.67	187.42	
श्रवणहृास,	----	----		
चलन क्रिया	----	232.53		
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित	187.15	176.73	----	
भूतपूर्व सैनिक	223.47	168.85	-----	

नोट–

- **उक्त कट आफ मेरिट के अन्तर्गत सम्मलित अभ्यर्थियों को जांच हेतु उपस्थित होने की सूचना केवल समाचार पत्र के माध्यम से ही दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से सूचना नहीं दी जायेगी। निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने की स्थिति में पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।**
- उक्त कट आफ मेरिट के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को मात्र मूल अभिलेखों की जांच तथा मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश से आच्छादित होने की जानकारी हेतु आमंत्रित किया जा रहा हैं, यह किसी भी रूप में अभ्यर्थियों का वि0बी0टी0सी0–2008 (सामान्य चयन) हेतु चयन नहीं है। चयन सम्बन्धी कार्यवाही निश्चित सीमा तक ही सीमित रहेगी।
- यदि अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में संस्थान में उपस्थित नहीं होते हैं तो भविष्य में उनके अभ्यर्थन के प्रति विचार नहीं किया जायेगा और इसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा भविष्य में उनके किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा। जारी की गयी विज्ञप्ति मा0 उच्च न्यायालय/ मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश एवं लिपिकीय त्रुटि के संधान के अधीन होगी।

प्राचार्य

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

बाद, मथुरा